

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
कैलाश वगैरा
बनाम रतनी वगैरा
मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 03-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थीगण को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम कार्रवाई व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण के पत्र में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-05-19 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल रहे।

आदेश सुनाया गया।

2/1
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)